5.2.21 प्रार्थी के प्रा. पत्र पर पत्रावली पेश पर की। वकील प्रार्थी अमरजीत व अमरपाल पुत्रान ईश्वर ने अपने प्रा. पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पो. चांदसिंह ने विवादित भूमि की बाबत हमारे पक्ष में दानपत्र निष्पादित किया है। उक्त दान पत्र उप पंजियक, भिवाडी द्वारा पंजीकृत किया गया है। दान पत्र की फोटो प्रति पेश है। यह कि विवादित भूमि की बाबत तहत न्यायालय में वादी अपीलांट ने जो दावा पेश किया था, वो दि० 7.4.2017 को अदम हाजरी में खारिज हो गया है। इसलिये धारा 212 R.T. एक्ट की यह अपील प्रभावहीन हो गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रा. पत्र पर गौर किया। प्रा. पत्र के साथ संलग्न आदेश दि. 7.4.17 के अवलोकन से सिद्ध है कि तहत अदालत द्वारा मूल राजस्व वाद सं. 333/17 उनवान राजेश बनाम चाँदसिंह अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया है।

चूंकि जब मूल वाद का ही निस्तारण हो चुका है तो ऐसी स्थिति में धारा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	212 R.T. एक्ट की यह अपील प्रभावहीन (इन्फैक्चस) हो चुकी है। अत: अपील प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	